उत्तराखण्ड षासन

कार्यालय जिला क्रीडा अधिकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम अगस्त्यमुनि

जनपद– रूद्रप्रयाग

वर्श 2020–21

उत्तराखण्ड शासन

निविदा प्रपत्र

निविदा का नाम– जिला खेल कार्यालय अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग के आवासीय बालिका एथलेटिक्स छात्रावास हेतु वर्श 2020–21 के लिये भोजन मैस के सम्बन्ध में।

निविदा फार्म का मूल्य रू0 500.00 मात्र

वैट / वाण्ज्यिकर रू0 90.

00 मात्र

योग रू0 590.00 मात्र

कार्यालय जिला कीडा अधिकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग

सत्र 2020–21 मे मैस संचालन हेतु निर्धारित नियम एवं षर्तें।

1– कार्यालय जिला कीडा अधिकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग द्वारा संचालित आवासीय एथलेटिक्स बालिका छात्रावास के अधिकतम 25 बालिकाओं के संचालित होने वाले आवासीय एथलेटिक्स बालिका छात्रावास के लिए सत्र 2020–21 मे भोजन व्यवस्था ठेकेदार द्वारा दी जानी है। छात्राओं की संख्या समय–समय पर घट–बढ सकती है।

2– षासन द्वारा भोजन मीनू प्रति बालिका अधिकतम रू0 175.00/ की दर से स्वीकृत प्राप्त है।

3– ठेकेदार को उनके द्वारा निविदा मे भरी गयी दर के अनुसार प्रतिदिन प्रति बालिका की दर से वार्डन द्वारा दी गई छात्राओं की उपस्थिति के आधार पर भोजन बिल का भुगतान देय होगा। डायट मनी/ भोजन भत्ते की दर जो कि ठेकेदार द्वारा निविदा हेतु भरी गई है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी धनराषि कार्यालय जिला कीडा अधिकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध नही कराई जायेगी।

4–षासन द्वारा प्रतिदिन प्रति बालिका की दर से स्वीकृत भोजन भत्ते की दर एवं प्रतीकात्मक भोजन मीनू के अनुरूप भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराना होगा, (प्रतीकात्मक भोजन मीनू की प्रति संलग्न हैं) संलग्न मीनू मात्र प्रतीकात्मक है, और इससे आवष्यक न्यूनतम कैलोरी निर्धारण की दृश्टि से रखा गया है। निविदादाता द्वारा द्वितीय निविदा फार्म मे प्रतीकात्मक भोजन मीनू की दर्षाई गयी न्यूनतम दर को दृश्टिगत रखते हुए मैस संचालन के हेतु निविदा का निर्णय लिया जायेगा।

5– निविदादाताओं द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें अलग–अलग लिफाफों मे मोहर बंद कर लिफाफों के ऊपर तकनीकि एवं वित्तीय निविदा इंगित कर एक अलग लिफाफे मे डालकर सीलबंद कर टेण्डर बॉक्स मे डाली जाए।

6– जिन निविदादाताओं के तकनीकि प्रपत्र निविदा के अनुरूप नही पाये जायेंगें। तो उसके वित्तीय निविदा पर आगे विचार नही किया जायेगा।

7– निविदादाता को आवासीय षिक्षण/ प्रषिक्षण संस्थाओं में बालिकाओं की मैस संचालन करने का अनुभव अनिवार्य है, तथा अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

8– ठेकेदार द्वारा पूर्व मे संचालित कैन्टीन /मैस से सम्बन्धित आयकर कटाये/आयकर रिटर्न फाइल किये जाने सम्बन्धी विगत दो वर्श के प्रमाणपत्रों की छायाप्रति साथ मे अनिवार्य रूप से सलग्न करें।

9– किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।

10– आयकर अदायगी हेतु पैन /टिन नम्बर होना अनिवार्य है। (पैन कार्ड नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें)

11– किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार जिला कीडा अधिकारी अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग को होगा, तथा नियम व षर्तें मे षिथिलता बरतने का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा।

12– निविदादाताओं की धरोहर राषि स्पोर्ट्स स्टेडियम अगस्त्यमुनि हेतु रू0 50000.00(पचास हजार मात्र) का सी0डी0आर0 / एफ0डी0आर0 जिला कीडा अधिकारी अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग के पक्ष मे बनाकर निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा सम्बन्धित ठेकेदारके निविदा फार्म पर विचार नही किया जायेगा।

13– निविदादाता को वित्तीय निविदा फार्म दर्षाई जाने वाली दर को सभी करों/ टैक्सों को सम्मलित करने हेतु प्रति बालिका प्रति दिन की दर से दर्षाया जाना है। एवं किसी भी कर /टैक्स का अलग से भुगतान नही किया जायेगा।

14– निविदादाता द्वारा वित्तीय निविदा से प्रतीकात्मक भोजन मीनू के आधार पर दर्षाई गयी न्यूनतम दर (समस्त करों को जोडते हुए) को ही निविदा निर्णय हेतु माना जायेगा।

15– यदि दो निविदादाताओं द्वारा भोजन मीनू की समान दर वित्तीय निविदा मे दर्षाई जाती है तो स्थिति मे निविदादाताओं द्वारा प्रतीकात्मक भोजन मीनू मे उच्चीकरण हेतु दर्षाई गयी अतिरिक्त भोज्य सामग्री मात्राओं एवं भार का दिनवार विवरण सहित कैलोरी का निर्धारण किया जायेगा। जिस निविदादाताओं की भोज्य समग्रीयों की कैलोरी अधिक पायी जायेगी। मैस ठेका उस ठेकेदार के पक्ष मे देय होगा।

16– धरोहर राषि टेण्डर स्वीकृत होने वाले ठेकेदारकी जमा रहेगीं एवं अन्य ठेकेदारों की जमा धनराषि सप्ताह के अन्दर वापस की जायेगीं।

17– मैस कर्मचारियों के वेतन एवं खर्चो का निर्वाहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

18– ठेकेदारको गैस सिलेंडरों मे गैस भराने की व्यवस्था स्वयं की होगी जिसके द्वारा जिला कीडा अधिकारी अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग द्वारा कोई भी अतिरिक्त धनराषि देय नही होगी।

19– भोजन बनाने हेतु प्रयोग मे लाये जाने वाले वर्तन जिला कीडा अधिकारी अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध नही कराये जायेंगें। मैस मे प्रयोग किये जाने वाले सभी प्रकार के वर्तन आदि की सफाई की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। मैस कीचन तथा डाइनिंग तथा हाईजिन का ध्यान व सफाई उच्चकोटि की रखनी अनिवार्य है। सफाई न होने/ रखने की स्थिति मे प्रथम बार चेतावनी तथा दूसरी बार सीधे नियम 45 के आधार पर जमानत धनराषि जब्त करने आदि की कारवाई की जायेगीं।

20– जिला कीडा अधिकारी अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग मे बालिका एथलेटिक्स छात्रावास मे उपलब्ध कराये गये कक्षों की टूट–फूट आदि होने पर उनकी मरम्मत ठेकेदार द्वारा की जायेगी।

21– राश्ट्रीय पर्वों पर एवं मुख्य त्यौहारों पर मिश्ठान एवं जलपान एवं बडे खाने का प्रबन्ध ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए जिला कीडा अधिकारी अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग द्वारा कोई भी अतिरिक्त धनराषि ठेकेदार को देय नही होगी।

22– भोजन कच्चे माल एवं फल की गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर मैस का ठेका किसी भी समय निरस्त किया जायेगा। अतः कच्चाक माल एवं अन्य भोज्य पदार्थ स्वीकृत डाइट मनी के अनुसार होना चाहिए।

23– मैस के अन्दर डाइनिंग हॉल स्टोर कीचन आद से सम्बन्धित स्थानों एवं मैस के बाहर चारों तरफ की सफाई का कार्य कम से कम दिन मे ंतीन बार ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा । स्टोर की साफ सफाई एवं स्वच्छता की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार ही होगी।

24– बजट उपलब्ध न होने की दषा मे विलम्ब से भुगतान किया जायेगा बजट उपलब्ध होने पर ठेकेदार को मैस मे भोजन की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी।

25– ठेकेदार को पूर्व मे कोर्ट द्वारा किसी भी बाद मे सजा सुनाये जाने की स्थिति मे सम्बन्धित ठेकेदार छात्रावास मैस मे संचालन किये जाने हेतु मान्य नही होगा।

26– फल एवं सब्जियां ताजी एवं मौसम के अनुसार होनी अनिवार्य है, तथा किसी भी स्थिति मे ंस्टोर मे कोई बासी एवं खराब वस्तु को नही रखा जायेगा। भोजन की स्वच्छता पौश्टिकता एवं स्वादिश्टता का बिषेश ध्यान दिया जाना अनिवार्य है।

27– प्रत्येक माह के अन्त मे हॉस्टल वार्डन से छात्राओं की उपस्थिति के आधार पर बिल प्रमाणित करने के उपरान्त समय से बिल भुगतान हेतु कार्यालय मे प्रस्तुत करेंगें।

28– कॉन्ट्रेक्ट प्रषिक्षक / हॉस्टल वार्डन की रहने एवं भोजन की व्यवस्था छात्रावास मे होगी।

29– यदि ठेकेदार समय से पूर्व मैस का संचालन बंद करने हेतु कम से कम एक माह पूर्व लिखित मे सूचित करना अनिवार्य है, अन्यथा सम्बन्धित ठेकेदार की पूर्ण धरोहर राषि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही आर्थिक दण्ड भी दिया जायेगा।

30– मैस परिसर मे किसी भी मैस कर्मचारी जो कि मैस मे ठेकेदार द्वारा रखें जायेंगें के द्वारा धूम्रपान षराब /मदिरापान अन्य किसी भी प्रकार के नषे का सेवन निशेध होगा। छात्रावास / कार्यालय नो पॉलीथीन, व नो स्मोंकिगं जोन है, तदानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

31– मैस मे कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों की जिम्मेदारी सभी परिस्थितियों मे (घटना दुघर्टना आदि की दषा में) ठेकेदार की होगी।

32– बालिका एथ0 छात्रावास अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग के मैस परिसर मे स्टोर मे रखी भोजन से सम्बन्धित समस्त भोज्य एवं पेय सामग्रियों व कच्चे माल की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार व उनके कर्मचारियों की होगी।

33– मैस ठेका जिस ठेकेदार के पक्ष मे छूटेगा, ठेकेदार द्वारा भोजन मीनू में बढाये गये भोज्य पदार्थो की मात्राओं को जोडते हुए नए भोजन मीनू के अनुसार छात्राओं के लिए भोजन व्यवस्था 03 से 05 दिन के अन्दर करनी होगी।

34– जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत की जायेगी, उन्हे पत्र द्वारा दिये गये समाचार के पते पर जिला क्रीड अधिकारी अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत करा दिया जायेगा।

35– निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार को नोटरी से रू0 100.00 एक सौ के स्टाम्प पेपर पर इंगित कराकर एक हस्ताक्षरित अनुबन्ध पत्र मे प्रस्तुत करना होगा।

36– किसी भी भोज्य सामग्री के खराब पाये जाने पर उसके मूल्य के बराबर धनराषि की कटौती ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल मे से कर दी जायेगी।

37– मैस परिसर मे रखी समस्त विभागीय वस्तुओं की देख–रेख की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यदि कोई विभागीय वस्तु मैस से गुम हो जाती है, अथवा टूट जाती है। तो उस विभागीय वस्तु की मूल्य के बराबर धनराषि की भरपाई ठेकेदार द्वारा की जायेगी।

38– दूध पनीर ,आदि सामग्रीयों का रखने के लिए डीफ फ्रीजर की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार द्वारा की जायेगी।

39– प्रमाण स्वरूप मागे गये समस्त प्रपत्र के सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं । किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव मे सम्बनिधत ठेकेदार की निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

40– कार्य के दौरान समस्त कीचन एवं सर्विस करने वाले स्टाफ को संभव हो तो, सैफ कोट एप्रैन एवं कैंप आदि मे अथवा साफ धुले हुए स्वच्छ कपडों मे होना अनिवार्य है।

41– निविदा निर्णय के उपरान्त जिस किसी निविदादाता के पक्ष मे निविदा खुलेगी स्वीकृत निविदादाता यदि सत्र के मध्य मे मैस का संचालन छोड देता है। तो तत्काल प्रभाव से सहमति की दषा द्वितीय स्थान पर रहे सफल

निविदादाता को उसके द्वारा वित्तीय निविदा मे दर्षाई गयी दर के अनुसार मैस के संचालन करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा, एवं प्रथम निविदादाता की सम्पूर्ण धरोहर राषि जब्त कर ली जायेगी। व आर्थिक दण्ड भी दिया जायेगा।

42–यह निविदा अगली निविदा स्वीकृत होन तक मान्य होगी, यदि ठेकेदार को वर्शभर का कार्य संतोश जनक पाया जाता है तो निविदा को अगले एक वर्श के लिए विस्तार करने हेतु जिला कीडा अधिकाारी अगस्त्यमुनि मे अधिकृत होंगे।

43– भोज्य पदार्थ को बनाने मे प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल ब्रांडेड फर्म/ कंपनी उत्तम ग्रेड आई0एस0आई0/एफ0पी0ओ0 अथवा एगमार्क का होना चाहिए।

44– निविदा प्रपत्र हस्तान्तरणीय नही है, तथा ना ही किसी अन्य फर्म से स्वीकृत किया जायेगा। जिला कीडा अधिकारी अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग द्वारा जारी मूल निविदा प्रपत्र ही प्रस्तुत करना होगा। फोटो स्टेट प्राप्ति मान्य नही होगी।

45– किसी भी नियम व षर्त का अनुपालन न होने पर धरोहर राषि को जब्त कर लिया जायेगा।

46– सफल ठेकेदार की मासिक बिल मे से आयकर तथा सेवाकर नियम अनुसार विभाग द्वारा कटौती की जायेगी।

47– मैस संचालन हेतु निविदादाता को कम से कम एक वर्श का अनुभव होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

नोटः– उक्त उल्लेखित समस्त नियम व षर्तें सफल निविदादाता द्वारा नोटरी से 100.00 एक सौ रू0 का स्टाम्प पेपर पर इंगित कराकर जिला कीडा अधिकारी अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग को उपलब्ध करें।

प्रभारी जिला कीडा अधिकारी
अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग

मैस संचालन हेतु तकनीकि निविदा फार्म

संख्या––––––

निविदा फार्म

मूल्य 500.00

वैट/वणीज्यकर 90.00

कुल षुल्क– 590.00

कार्यालय जिला कीडा अधिकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग (सत्र 2020–21)

(निविदा फार्म विकय करने की अंतिम तिथि 06/04/2020 समय अपराह्न 2ः.00 बजे तक)

(निविदा फार्म अपलोड करने की अंतिम तिथि 07/04/2020 समय सायं 05.00 बजे तक)

(निविदा खोले जाने की अंतिम तिथि 08/04/2020 समय पूर्वाह्न 11.00 बजे से

1– फर्म का नाम–

2– ठेकेदार का नाम–

3– पिता का नाम–

4– स्थाई पता–

5– पत्र व्यवहार का पता–

6– एवं टिन /पैन न0 फोटो पहचान पत्र (प्रमाण स्वरूप छायाप्रति संलग्न करें)

7– किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें–

8– धरोहर राषि रू0 50000.00का बैक ड्राफट / एफ0डी0आर0 जिला कीडा अधिकारी अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग के पक्ष मे देय होगा। (संलग्न करें)

1– बैक का नाम–

2– बैंक ड्राफट / एफ0डी0आर0 संख्या–

3– धनराषि– दिनांक–

घोशणा पत्र

मै...

...........एतदद्वारा घोशणा करता/ करती हूँ कि आवासीय एथलेटिक्स छात्रावास अगस्त्यमुनि की मैस का संचालन सफलता पूर्वक एवं बिना व्यवधान के स्वीकृत भोजन मीनू के अनुसार पूरे सत्र मे करता रहूॅगा/ करती रहूॅगी, तथा भोजन की गुणवत्ता, पौश्टिकता, एवं स्वादिश्टता बनाये रखूगां/ रखूंगी। यदि मेरे द्वारा मैस का संचालन बिना पूर्व सूचना के लगभग एक माह पूर्व या बीच सत्र मे छोडा जाता है तो मेरे द्वारा छात्रावास/ कार्यालय मे जमा करायी गयी धनराषि पूर्ण जब्त कर ली जाय, तथा आर्थिक दण्ड भी मान्य होगा।

दिनांक–

हस्ताक्षर–
नाम–
पता–
मुहर–

वित्तीय निविदा प्रपत्र

कार्यालय जिला कीडा अधिकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत आवासीय बालिका एथलेटिक्स छात्रावास अगस्त्यमुनि मे आवासीय क्रीड़ा छात्राओं के लिए सत्र 2020–21 मे भोजन व्यवस्था हेतु ठेकेदारी द्वारा मैस संचालन किये जाने सम्बन्धित ।

फर्म का नाम व पूरा पता	जिला कीडा अधिकारी अगस्तयमुनि से प्राप्त प्रतीकात्मक भोजन मीनू मे उच्चीकरण–	प्रति छात्रा प्रतिदिन सभी करों सहित / टैक्सों को सम्मलित करते हुए

	अतिरिक्त भोजन सामग्री मात्रा एवं भार का दिनवार विवरण कैलोरी सहित	भोजन मीनू की दर
	प्रतीकात्मक भोजन मीनू उच्चीकरण– 1– 2– 3–	

दिनांक–

निविदादाता के हस्ताक्षर–

फर्म का नाम–

मुहर–

कार्यालय जिला खेल कार्यालय अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग

आवासीय बालिका एथलेटिक्स छात्रावास अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग हेतु साप्ताहित भोजन मीनू

रूपये– 175.00 प्रतिदिन प्रति छात्रा की दर से

(1)

क्र0स0	प्रातः बैड टी0	ब्रेकफास्ट / नाष्ता	प्रातः 11:30 बजे	दोपहर का भोजन	सायः दूध
सोमवार	चाय एक कप चार ग्लूकोज विस्कुट / दो रस (प्रति बालिका)	ब्रेड–4 पीस मक्खन 20 ग्राम व 10 ग्राम जैम मीठा दलिया दूध मेबना–150 ग्राम अण्डे–02 उबले हुये फल–02 सीजनल दूध–250 मि0ली0 ड्राई फूड पैकेट 50 ग्राम बादाम गिरी 07 काजू–02छुवारे–02माखाने,गोल ,किषमिष मूगफली,गिरी सहित (प्रति वालिका)	फल–02 सीजनल ब्रेकफास्ट से बदलकर	रोटी,चावल जीरा फ्राई,चिकन करी,मीट करी,फिष करी,के साथ–150 ग्राम चिकन,मटन,फिष,–मांसाहरी हेतु (प्रति वालिका) मटरपनीर,दाल,सब्जी,सूखी,100 150 ग्राम रायता,दही ,100ग्राम मिक्स सलाद,नीबू,1 / 2 भाग स्वीडिष 100–150 ग्राम षाकाहारी हेतु (प्रति वालिका)	दूध 250 मिली0 02चम्मच बार्नवीटा के साथ अंकुरित चना या अंकुरित मुंग मिक्स करके प्याज,टमाटर,नीवू के साथ–50 ग्राम (प्रति बालिका)
मंगलवार	चाय एक कप चार ग्लूकोज विस्कुट / दो रस (प्रति बालिका)	सैण्डविज–4 ब्रेड स्लाइस के कार्नफलेक 20 ग्राम दूध एक कप फल–02 सीजनल ड्राई फूड पैकेट 50 ग्राम बादाम गिरी 07 काजू –02छुवारे–02 माखाने,गोला,किषमिष मूगफली,गिरी सहित (प्रति वालिका)	फल–02 सीजनल ब्रेकफास्ट से बदलकर	रोटी,चावल जीरा फ्राई, पनीर, चना पनीर,100 ग्राम के साथ प्रति बालिका,100 ग्राम दाल, सब्जी ,सूखी, सीजनल 100–150 रायता ,दही 100ग्राम मिक्स सलाद नीवू 1 / 2 भाग स्वीडिस 100–150 ग्राम (प्रति वालिका)	दूध 250 मिली0 02चम्मच बार्नवीटा के सात मुंगफली –50 ग्राम (प्रति बालिका)

बुद्धवार	चाय एक कप चार ग्लूकोज विस्कुट/दो रस (प्रति बालिका)	ब्रेड–4 पीस मक्खन 20 ग्राम व 10 ग्राम जैम मीठा दलिया दूध मेबना–150 ग्राम अण्डे–02 उबले हुये फल–02 सीजनल दूध–250 मि0ली0 ड्राई फूड पैकेट 50 ग्राम बादाम गिरी 07 काजू –02 छुवारे–02 माखाने,गोला,किषमिष मूगफली,गिरी सहित (प्रति वालिका)	फल–02 सीजनल ब्रेकफास्ट से बदलकर	रोटी,चावल जीरा फ्राई,चिकन करी,मीट करी,फिष करी,के साथ–150 ग्राम चिकन,मटन,फिष,–मांसाहरी हेतु (प्रति वालिका) मटरपनीर,दाल,सब्जी,सूखी,100 150 ग्राम रायता,दही ,100ग्राम मिक्स सलाद,नीबू,1/2 भाग स्वीडिष 100–150 ग्राम षाकाहारी हेतु (प्रति वालिका)	दूध 250 मिली0 02चम्मच बार्नवीटा के साथ अंकुरित चना या अंकुरित मुंग मिक्स करके प्याज,टमाटर,नीवू के साथ–50 ग्राम (प्रति बालिका
वीरवार	चाय एक कप चार ग्लूकोज विस्कुट/दो रस (प्रति बालिका)	ब्रेड–4 पीस मक्खन 20 ग्राम व 10 ग्राम जैम मीठा दलिया दूध मेबना–150 ग्राम अण्डे–02 उबले हुये फल–02 सीजनल दूध–250 मि0ली0 ड्राई फूड पैकेट 50 ग्राम बादाम गिरी 07 काजू –02 छुवारे–02 माखाने,गोला,किषमिष मूगफली,गिरी सहित (प्रति वालिका)	फल–02 सीजनल ब्रेकफास्ट से बदलकर	रोटी,चावल जीरा फ्राई मटर पनीर,ताजी हरी मटर 100 ग्राम के साथ प्रति वालिका हेतु दाल,सब्जी,सूखी,सीजनल 100–150ग्राम रायता,दही ,100ग्राम मिक्स सलाद नीबू 1/2 भाग स्वीडिष 100–150 (प्रति वालिका)	दूध 250 मिली0 02चम्मच बार्नवीटा के साथ अंकुरित चना या अंकुरित मुंग मिक्स करके प्याज,टमाटर,नीवू के साथ–50 ग्राम (प्रति बालिका))
षुक्रवार	चाय एक कप चार ग्लूकोज विस्कुट/दो रस (प्रति बालिका)	ब्रेड–4 पीस मक्खन 20 ग्राम व 10 ग्राम जैम मीठा दलिया दूध मेबना–150 ग्राम अण्डे–02 उबले हुये फल–02 सीजनल दूध–250 मि0ली0 ड्राई फूड पैकेट 50 ग्राम बादाम गिरी 07 काजू –02 छुवारे–02 माखाने,गोला,किषमिष मूगफली,गिरी सहित (प्रति वालिका)	फल–02 सीजनल ब्रेकफास्ट से बदलकर	रोटी,चावल जीरा फ्राई,चिकन करी,मीट करी,फिष करी,के साथ–150 ग्राम चिकन,मटन,फिष,–मांसाहरी हेतु (प्रति वालिका) मटरपनीर,दाल,सब्जी,सूखी,100 150 ग्राम रायता,दही ,100ग्राम मिक्स सलाद,नीबू,1/2 भाग स्वीडिष 100–150 ग्राम षाकाहारी हेतु (प्रति वालिका)	दूध 250 मिली0 02चम्मच बार्नवीटा के सात मुंगफली –50 ग्राम (प्रति बालिका)
षनिवार	चाय एक कप चार ग्लूकोज विस्कुट/दो रस (प्रति बालिका)	ब्रेड–4 पीस मक्खन 20 ग्राम व 10 ग्राम जैम मीठा दलिया दूध मेबना–150 ग्राम अण्डे–02 उबले हुये फल–02 सीजनल दूध–250 मि0ली0 ड्राई फूड पैकेट 50 ग्राम बादाम गिरी 07 काजू –02 छुवारे–02 माखाने,गोला,किषमिष मूगफली,गिरी सहित (प्रति वालिका)	फल–02 सीजनल ब्रेकफास्ट से बदलकर	रोटी,चावल जीरा फ्राई,ऐग करी 02 अण्डे प्रति बालिका करी, मांसाहरी हेतु या पनीर वैजिटेविल कोप्ता करी के साथ प्रति वालक षाकाहारी हेतु या समस्त हेतु पनीर मलाई कोप्ता –04 करी /मिक्स वैजिटेविल कोप्ता करी 04 दाल 100–150 ग्राम सब्जी सूखी सीजनल रायता,दही ,100ग्राम मिक्स सलाद,नीबू,1/2 भाग स्वीडिष 100–150 ग्राम (प्रति वालिका	दूध 250 मिली0 02चम्मच बार्नवीटा के साथ अंकुरित चना या अंकुरित मुंग मिक्स करके प्याज,टमाटर,नीवू के साथ–50 ग्राम (प्रति बालिका)
रविवार	चाय एक कप चार ग्लूकोज विस्कुट/दो रस (प्रति बालिका)	आलू/गोभी/मूली–03 पराठे दही, 02 अण्डे की भुजिया के साथ सादे पराठे–3 आलूचना भाजी अथवा मीठा कददू के साथ मीठा दलीया दूध मे बना हुवा –150 ग्राम ड्राई फूड पैकेट 50 ग्राम बादाम गिरी 07 काजू –02छुवारे–02 माखाने,गोला,किषमिष मूगफली,गिरी सहित (प्रति वालिका)	–	रोटी,चावल जीरा फ्राई,चिकन करी,मीट करी,फिष करी,के साथ–150 ग्राम चिकन,मटन,फिष,–मांसाहरी हेतु (प्रति वालिका) मटरपनीर,दाल,सब्जी,सूखी,100 150 ग्राम रायता,दही ,100ग्राम मिक्स सलाद,नीबू,1/2 भाग स्वीडिष 100–150 ग्राम षाकाहारी हेतु (प्रति वालिका	दूध 250 मिली0 02चम्मच बार्नवीटा के साथ अंकुरित चना या अंकुरित मुंग मिक्स करके प्याज,टमाटर,नीवू के साथ–50 ग्राम (प्रति बालिका))

नोट–1–फल एंव सब्जी सीजन के अनुसार सप्ताह मे प्रत्येक दिन बदल–बदल कर उपलब्ध करायी जाये। दोपहर एंव रात्रि भोजन मे दाल भी प्रत्येक दिन बदल–बदल कर उपलब्ध कराई जाये 2–पनीर एंव दूध ब्राण्डेड फर्म जैसे पराग,आचंल,डेरी अथवा अमूल आदि पैकेट मे होना चाहिए,दूध मे फैट की मात्रा न्यूनतम 4.5 प्रतिषत होना अनिवार्य है तथा सोयबीन के दूध से निर्मित पनीर मान्य नही होगा । 3–आटा,दाल,चावल,आदि उत्तम ग्रेड के होने चाहिए । 4–फल का ग्रेड उत्तम व 150 ग्राम से कम नही होना चाहिए 5–छात्रो एंव

कॉलेज प्रषासन की सहमति से किसी भी दिन भोजन मीनू मे बदलाव लाया जा सकता है । 6–भोज्य पदर्थो को बनाने मे प्रयोग किये वाले मसाले तेल सिवयी एंव कस्टर्ड आदि ै।स्ध्एग मार्क अथवा थ्च्व्ब्द्वारा प्रमाणित होने अनिवार्य है । 7–भोज्य पदार्थो को बनाने मे प्रयोग किये जाने वाले कच्चा माल उच्च कोंटी की ब्रान्डेड कम्पनी का होना अनिवार्य है । 8–विस्कुट एंव ब्रैड ब्रान्डेड फर्मो की होनी चाहिए । 9–भोज्य पदर्थो को बनाने मे मे प्रयोग किये जाने वाले कच्चा माल की गुणवता उत्तम होनी अनिवार्य है । 10–उक्त भोजन मीनू मे दर्षायी गई समस्त भोज्य एंव पेय सामग्रीयो की मात्राऐ प्रति बालिकाओ हेतु निर्धारित है । 11–षाकाहारी बालिकाओ को अण्डो के स्थान पर अण्डो के मूल्यो के बरावर फल देय होगा । 12–मासाहारी बालिकाओ को डिनर मे दिनवार बदल–बदलकर चिकन करी,मटन करी,फिष करी,ऐगकरी,चिली चिकन ,एंव बटर चिकन आदि मे से एक व्यंजन देना होगा। 13–षाकाहारी बालिकाओ को डिनर मे दिनवार बदल–बदलकर पालक पनीर,चना पनीर,छोला पनीर,मटर पनीर,कढाई पनीर,फ्राई पनीर करी,षाही पनीर,एंव मालाई कोप्ता,वैजिटेबल कोप्ता आदि मे से एक व्यंजन देना होगा । 14–पाउडर मिल्क को किसी भी भोज्य पदार्थ जैसे दही स्वीटडिष एंव पीने वाले दूध को बनाने मे उपयोग नही किया जायेगा ।

प्रभारी जिला क्रीडा अधिकारी

अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग ।